555

※ ※ ※

क्रमांक: प 10 (1) नवियि/3/2002 जयपुर, दिनांक 15 जनवरी, 2002

अधिसूचना

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01-01-2002 में निम्न संशोधन किये जाते हैं:

1. बिन्दु संख्या A 1 (e) के नीचे नोट को **निम्नानुसार** पढ़ा जावे :

''(b) (c) (d) व (e) श्रेणियों के लिए **आवंटित भूमि** में से यदि 40 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र को निवेशकर्ता द्वारा यदि निम्न शर्तों पर **संबंधित संस्था** को समार्पित किया जाता **है** तो पूर्व में भूमि के मूल्य की जमा राशि में से 20 **प्रतिशत राशि** बिना ब्याज के निवेशकर्ता **को** वापस लौटा दी जायेगी–

(क) योजना सम्पूर्ण होने तक Complet**ion Ce**rtificate लेने के पश्चात।

(ख) समर्पित की जाने वाली भूमि में से **कम से कम** 10 प्रतिशत भूमि (कुल **भूमि** का 8 से 10 प्रतिशत) विभिन्न जन सुविधा**ओं यथा** स्कूल, अस्पताल, जलप्रदाय की सेवाएं, विद्युत, पुलिस स्टेशन local shopp**ing,** आदि के लिए उपलब्ध हो (यह **भूमि** सड़क, पार्क, खेल के मैदान के अलावा **होगी)**

2. पेज 3 में बिन्दु संख्या 5 में, ''उक्त **भूमि विकासकर्ता** द्वारा विकसित की जाकर संबंधित स्थानीय निकाय को समर्पित की जायेगी'' **विलोपित** की जाती है। चूंकि इसका उल्लेख (e) के नीचे दिये गये नोट में आ चुका है।

3. आवंटित भूमि पर वित्तीय संस्थाओं का **second** charge हो सकेगा, जिससे निवेशकर्ता को वित्तीय सहायता लेने में सुविधा होगी।

4. बिन्दु संख्या B के पेरा 5 के नोट में निम्न **संशोधन** किया जाता है :

''निजी कृषि भूमि का रूपान्तरण करने **पर संबंधित संस्था** द्वारा संबंधित कम्पनी / काश्तकार को समस्त भूमि का या भूमि के **किसी हिस्से का पट्टा** व लीज डीड जारी किया जा सकेगा, जिससे वह कम्पनी अपने आवंटियों को **भूमि आवंटित** / सब लीज कर सकेगी।''

शासन सचिव

(556)
(102)